

17/8/2022

अभिलेख उपस्थित।
 उक्त पक्ष उपस्थित।
 विपक्ष द्वारा दस्तावेज जलद ही प्राप्त किए जाएंगे।
 दस्तावेज के अवलोकन के स्तर
 होगा है कि कुछ वक्त के बाद
 पूर्व से भी अपील वाद (ऑन लाइन)
 14/2020-21 मामले में इस
 आदेश द्वारा 24/2/2022 को आदेश
 पारित किया जा चुका है।


अतः इसी मामले में आवेदक
 द्वारा RCMS के अंतर्गत पुनः अपील
 द्वारा वरम का कोई औचित्य नहीं है।

अतः पुनः पक्ष (वर्ग) द्वारा
 RCMS के अंतर्गत द्वारा अगली
 सूचक क्र. - 03/2022-23 को
 निरस्त किया जाता है।

आवेदक (वर्ग) इस निर्णय के
 विरुद्ध उक्त आदेश में दिनांक
 अपील का समेत है।

तदुक्त, इस वाद की कसौटी
 खाली की जाती है।

उक्त पक्ष के पारित आदेश
 को अवरुद्ध करा दिया जाता


 17/8/2022